पंचायत निगरानी संख्या : 59/2024
उनवान : पकाराम बनाम ग्राम पंचायत फालना गांव अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 59/2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/66

प्रार्थी :–		अप्रार्थीगण :–
पकाराम पुत्र नेमाराम जाति चौधरी निवासी फालना गांव तहसील बाली जिला पाली राज.	बनाम	ग्राम पंचायत फालना गांव तहसील बाली जिला पाली राज.

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत फालना गांव के पत्रावली संख्या 48/2012 दिनांक 05.01.2013 को निरस्त करवाने बाबत।

उपस्थिति:– प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री अयुब अली सैय्यद।

–:निर्णयः–

दिनांकः 18.07.2025

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 के तहत **ग्राम पंचायत फालना गांव के पत्रावली संख्या 48/2012 में उनके पक्ष में निष्पादित भूमि विक्रय विलेख संख्या 23 दिनांक 15.01.2013 को** अपास्त करवाने बाबत् निवेदन किया गया।

पत्रावली राजस्व (ग्रुप–2) विभाग जयपुर की आज्ञा क्रमांक प.7(15)राज/2022 दिनांक 25.05.2022 की अनुपालना में श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय, पाली के पत्रांक/कोर्ट/एडीएम/2023–24 दिनांक 10.01.2024 के द्वारा स्थानांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर पक्षकारान/वकुलाय को सूचित किया। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री अयुब अली सैयद ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय को रिकॉर्ड पूर्व में प्राप्त जो शामिल पत्रावली है।

प्रस्तुत पंचायत निगरानी याचिका अनुसार ग्राम पंचायत फालना गांव की विक्रय विलेख पत्रावली संख्या 48 दिनांक 20.12.2012 के अवलोकन से यह तथ्य सामने आता है कि पकाराम पुत्र नेमाजी के नाम से कायम पत्रावली दिनांक 21.08.2012 को संज्ञान लेकर पत्रावली दर्ज की जाती है तथा उसी रोज मौका निरीक्षण हेतु तीन वार्ड पंचों को नियुक्त किये जाने के आदेश दिये जाते है मगर कौन सा पंच मौका देखेंगें उसका कोई हवाला आज्ञासूची में नहीं है। पत्रावली पुनः 20.10.2012 को बैठक में पेश होना बताया गया है तथा तीन वार्ड पंचों द्वारा मौका निरीक्षण कर मौका रिपोर्ट पेश करना बताया तथा एक माह का आपत्ति नोटिस जारी कर पत्रावली आगामी बैठक में पेश करने का आदेश दिया गया। आगामी बैठक 20.12.2012 को होना पत्रावली से प्रकट होता है। बैठक में यह बताया गया है कि आपत्ति नोटिस जारी करने के बाद किसी प्रकार की आपत्ति आना या नहीं आने का हवाला दिये बिना आज्ञा सूची में यह लिखा गया है कि प्रार्थी ने अपने कब्जे के संबंध में दो गवाह पेश किये जिनके हस्ताक्षर कलमबद्ध दर्ज किये। पत्रावली को आगामी बैठक में पुनः पेश करने का आदेश पारित किया। आगामी बैठक आज्ञा सूची को पढने पर बैठक दिनांक 05.01.2013 को आहुत करना दर्शित होता है। आज्ञासूची में

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 59/2024
उनवान : पकाराम बनाम ग्राम पंचायत फालना गांव अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज, अधिनियम, 1994

यह दर्ज किया गया है कि प्रार्थी ने अपना 50 वर्षों पुराना पुश्तैनी कब्जा साबित हेतु दो गवाह भी पेश किये जो सलग्न मिसल है। कथित आज्ञा सूची में यह दर्शाया गया है कि विक्रय विलेख से ग्रामावासियों के आवागमन, गांव की सुन्दरता, स्वच्छता, एवं किसी व्यक्ति विशेष के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा। उक्त प्रकार से आज्ञा सूची लिखी जाकर प्रार्थी पकाराम चौधरी निवासी फालना गांव को पुश्तेनी कब्जे के आधार पर 100/–200/– रुपये लिये जाकर रसीद दी जाकर उसके नाम भूमि विक्रय विलेख जारी किया जाये। उक्त पत्रावली प्रार्थी के नाम कायम की गयी प्रतीत होती है। जबकि प्रार्थी ने दिनांक 21.08.2012 या इसके पहले या बाद किसी प्रकार का कोई प्रार्थनापत्र अपने नाम विक्रय विलेख या पट्टा देने बाबत् अप्रार्थी के समक्ष कभी पेश नहीं किया था। और न ही प्रार्थी ने अप्रार्थी के समक्ष कभी भी कोई शपथपत्र पेश किया था फिर भी प्रार्थी के नाम पत्रावली कायम की जाकर सारी कार्यवाही कूटरचित कर पट्टा जारी करने हेतु आदेश जैर निगरानी पारित किया है।

जैर निगरानी आदेश को सरसरी तौर से देखने से यह प्रकट होता है कि कथित जैर निगरानी आदेश की तारीख आज्ञासूची के कॉलम में अंकित नहीं है तथा आदेश जैरनिगरानी में यह कभी भी प्रकट नहीं है कि प्रार्थी का पुश्तैनी कब्जा प्लॉट पर है या मकान पर। कथित आज्ञासूची पर हस्ताक्षर है पर किसके है प्रकट नहीं है, जिससे जैर निगरानी आदेश विधि सम्मत नहीं होने से अपास्त करने योग्य है।

प्रार्थी ने अप्रार्थी से कथित पत्रावली की नकल विधि अनुसार प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर उसे सम्पूर्ण पत्रावली की प्रतियां दी गयी है। जिसके अनुसार सर्वप्रथम अप्रार्थी के कार्यालय में कायम की गई आज्ञासूची दिनांक 21.08.2012 लिखी जाना प्रकट होता है जिसमे कहीं भी प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करना अंकित नहीं है। आज्ञासूची में यह अंकित किया गया है कि ' पकाराम पुत्र नेमाजी की पत्रावली पेशी की जो दर्ज रजिस्टर कायम की गई' जिससे यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि पत्रावली किस आधार पर तैयार की गई? प्रार्थी के नाम से कोई प्रार्थना पत्र यदि पेश किया होता तो, उसकी प्रति प्रार्थी को नहीं दी गई पत्रावली का यदि सरसरी तौर से या सुक्ष्मता से भी अवलोकर करें तो प्रार्थी की ओर से किसी प्रकार का प्रार्थना पत्र पेश करना प्रकट नहीं होता है। पत्रावली के साथ प्रार्थी को सूची कागजात की प्रमाणित प्रति भी दी गयी है जिसमें उसके सभी कॉलम रिक्त है मात्र अन्तिम कॉलम में तारीखे अंकित है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि पत्रावली बदनियत से प्रार्थी को आर्थिक व मानसिक एवं शारीरिक क्षति पहूंचाने की नियत से कायम कर कूटरचित विक्रय विलेख यानि पट्टा कूटरचित जारी किया गया है।

अप्रार्थी द्वारा आदेश जैर निगरानी के तहत जो विक्रय विलेख जारी किया गया है वो कूटरचित ही नहीं अपितु एक षडयंत्र का हिस्सा है क्योंकि प्रार्थी का जिस छोगा गाडोलिया के पड़ोस में मकान है वहां आगे के भाग में उसकी पक्की पोल बनी हुई है तथा शेष जमीन चारों ओर से घिरी हुई है, पूठ में काटों की बांड है। कथित जमीन एक श्री किस्तुरचंद पुत्र पुनमाजी सुथार की पट्टाशुदा थी जिसका पट्टा अप्रार्थी द्वारा दिनांक 15.10.1969 को मिसल संख्या 24 के जरिये जारी किया गया था जिसके पट्टा नम्बर 39 है।

प्रार्थी के स्वर्गीय पिता नेमाराम पुत्र खुमाजी चौधरी ने कथित जमीन दिनांक 27.06.1989 को 1301/– अक्षरे एक हजार तीन सौ एक रुपये में खरीद की थी। बाद खरीद उस पर चारों और नीवें भरवाई जाकर जरुरत के अनुसार दीवारें बनवा कर पोल का निर्माण करवाया था जो आज भी उसी स्थिति में है जिस पर 31 वर्षों से प्रार्थी का अपने पिता के जीवनकाल तक भौतिक रुप से कब्जा था तथा अब उसके अकेले का ही उपयोग एवं उपभोग है। ऐसी अवस्था में प्रार्थी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

द्वारा पट्टा या विक्रय विलेख प्राप्ति हेतु प्रार्थना पत्र पेश करने का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है। जिससे भी आदेश जैर निगरानी अपास्त करने योग्य है।

पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अप्रार्थी के द्वारा आदेश जैर निगरानी की कार्यवाही एक ही दिन में हड़बडी में आनन–फानन में तैयार कर पट्टा जारी किया है जो अप्रार्थी के सरपंच व सचिव के अधिकारों का दुरुपयोग है। पत्रावली में जमीन का जो नक्शा दर्शाया है उस पर हस्ताक्षर ग्राम पंचायत के सचिव के या अन्य किसी नक्शा नवीस है स्पष्ट नहीं है, और कथित नक्शे पर प्रार्थी के हस्ताक्षर का स्थान रिक्त है यानि उस पर प्रार्थी के हस्ताक्षर नहीं है, न ही उस पर किसी प्रकार की तारीख, माह या वर्ष अंकित है। जबकि प्रार्थी कथित स्थान पर 35 (पैतीस) फीट चौड़ाई एवं 45 फीट लम्बी जमीन पर उक्त प्रकार से मकान निर्मित है। जिससे भी कथित नक्शा कूटरचित है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

पत्रावली में प्रार्थी के नाम का शपथपत्र 10/–अक्षरे दस रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर टाईपशुदा पत्रावली में मौजुद है जिस पर प्रार्थी पकाराम के दो स्थान पर नाम लिखा प्रकट है मगर कथित नाम न तो प्रार्थी द्वारा लिखा हुआ है और न ही कथित पकाराम प्रार्थी के ही हस्ताक्षर ही है। यानि लिखा हुआ नाम हस्ताक्षर के रुप में कूटरचित है। कथित कूटरचित हस्ताक्षर के नीचे साक्ष्य के रुप में समाराम चौधरी अंकित है जो कौन है स्पष्ट नहीं होता है। कथित नाम के नीचे अंगुठा निशान लगा हुआ दिखाई दे रहा है वो किसका है कथित शपथपत्र से प्रकट नहीं होता है। कथित अगुंष्ठ निशान समाराम चौधरी का है या अन्य किसी ओर का यह कहना भी मुश्किल है। शपथपत्र में खाली स्थान किसके द्वारा भरा हुआ है, प्रार्थी के द्वारा भरा हुआ नहीं है और तो और कथित शपथपत्र विधि अनुसार सत्यापित भी नहीं है। ऐसी अवस्था में कथित शपथपत्र पूर्णतः कूटरचित है।

यह भी, कि कथित शपथपत्र बिना तारीख का है मगर कथित शपथपत्र का स्टाम्प दिनांक 14.01.2013 को जारी किया हुआ है जबकि आदेश जैर निगरानी का पट्टा बहुत ही होशियारी से 15.01.2013 को जारी किया हुआ है। मगर इस संबंध में किसी प्रकार की आज्ञासूची लिखी हुई नहीं है। और यह भी अंकित नहीं है आदेश जैर निगरानी में अंकित धनराशि किस तारीख या वर्ष में जमा हुई तथा उसके रसीद नम्बर क्या है। जिससे भी आदेश जैर निगरानी कूटरचित होने से अपास्त करने योग्य है।

आदेश जैर निगरानी की पत्रावली में प्रार्थी के पक्ष में प्रदीपसिंह एवं चम्पाराम के बयान लगे हुए है जिनको देखने से स्पष्ट है कि बयान अप्रार्थी की ओर से अपनी मनमर्जी से लिखे गये है जिस पर किसी प्रकार की तारीख अंकित नहीं है यानि तारीख का स्थान खाली है। दोनो बयानों में प्रार्थी का नाम बाद में लिखा जाना स्पष्ट दिखाई देता है। बयानों में गवाहों की उम्र व जाति भी अंकित नहीं है जिससे भी स्पष्ट है कि सारी कार्यवाही बदभावना से की गई है। जिससे भी आदेश जैर निगरानी अपास्त करने योग्य है।

प्रार्थी के कथित मकान के भाग पर बलात कब्जा करने का प्रयास जब एक श्री भूराराम पुत्र खुमाजी चौधरी द्वारा किया जाने लगा तब प्रार्थी ने स्थायी एवं अस्थायी निषेधाज्ञा के दावे किये जिसमें उक्त भूराराम ने जवाबदावा दिनांक 26.08.2019 को पेश करने पर प्रार्थी को उक्त आदेश जैर निगरानी के तहत पट्टा प्रार्थी के नाम बनाने की जानकारी होने पर प्रार्थी ने आदेश जैर निगरानी की नकल प्राप्त कर यह निगरानी पेश की। अतः निगरानी याचिका पेश कर निवेदन है कि आदेश जैर निगरानी अपास्त फरमाया जावें।

अप्रार्थी बावजुद सम्यक् सूचना के अनुपस्थित। उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही प्रभाव में लाई जाती है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 59/2024
उनवान : पकाराम बनाम ग्राम पंचायत फालना गांव अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से प्रार्थीपक्ष की एकतरफा बहस सुनने का निश्चय किया गया। काबिल अधिवक्ता याचिकाकर्ता ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम से फर्जी आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत द्वारा कूटरचित व अवैध ढंग से आलोच्य पट्टा संख्या 23 जारी किया गया है। प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत कार्यालय में न तो उक्त पट्टे हेतु कभी कोई आवेदन प्रस्तुत किया है और न ही सम्पूर्ण मिसल में किसी दस्तावेज पर कभी भी हस्ताक्षर किए हैं। यह भी, कि आलोच्य पट्टे के भू भाग को सम्मिलित करते हुए भूखण्ड का पट्टा पूर्व में श्री किस्तुरचन्द के पक्ष में दिनांक 15.10.1969 को ग्राम पंचायत फालना द्वारा मिसल संख्या 24 में निष्पादित किया गया था, जिसकी पट्टा संख्या 39 है। प्रार्थी के पिता द्वारा श्री किस्तुरचन्द से उक्त भूखण्ड दिनांक 27.06.1989 को क्रय किया था, जिस पर पिता की मृत्यू उपरान्त सम्पूर्ण भूखण्ड पर प्रार्थी का ही कब्जा एवं उपयोग उपभोग है। ऐसे में उक्त भूखण्ड के एक भाग का पट्टा प्रार्थी द्वारा बनाने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। यह भी, कि प्रथमतः तो उक्त आलोच्य पट्टा संख्या 23 कुटरचित है और द्वितीयतः उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रक्रियात्मक प्रावधानों की भी पालना नहीं की गई है।

काबिल अधिवक्ता प्रार्थीपक्ष ने वक़्त बहस यह भी ज़ाहिर किया कि पूर्वोक्त पट्टा संख्या 39 दिनांक 15.10.1969 बहक श्री किस्तुरचन्द से सम्बन्धित भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा सिविल न्यायालय बाली में एक वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर रखा है, जो ज़ैर ट्रायल है। साथ ही, एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 भी प्रस्तुत किया गया, जो सिविल न्यायालय बाली में प्रकरण संख्या 20/2020 के रुप में दर्ज हुआ एवं निर्णय दिनांक 26.09.2023 द्वारा प्रार्थी के पक्ष में वादग्रस्त भूखण्ड की मौक़े एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति मूलवाद के निस्तारण तक कायम रखने की अस्थायी निषेधाज्ञा भी जारी की गई है।

अधिवक्ता प्रार्थीपक्ष द्वारा न्यायालय सिविल न्यायाधीश बाली में दीवानी विविध प्रकरण संख्या 20/2020 प्रदत्त उक्त निर्णय दिनांक 26.09.2023 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई, जिसे अवलोकन उपरान्त शामिल मिसल किया गया।

बहस को समेकित करते हुए काबिल अधिवक्ता प्रार्थीपक्ष ने प्रार्थी के पक्ष में निष्पादित भूमि विक्रय विलेख संख्या 23 दिनांक 15.01.2013 को कूटरचित करार देते हुए अपास्त करने का निवेदन किया।

अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों तथा ग्राम पंचायत द्वारा प्रेषित मूल रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

यह एक विचित्र प्रकरण है जिसमें निगरानीकर्ता द्वारा स्वयं के पक्ष में ग्राम पंचायत फालना द्वारा निष्पादित भूमि विक्रय विलेख संख्या 23 दिनांक 15.01.2013 को चुनौति दी गई है। प्रार्थी ने आलोच्य पट्टे एवं मिसल में स्वयं के फर्जी हस्ताक्षर होना और पट्टे को कूटरचित बताने के साथ साथ प्रक्रियात्मक त्रुटियों के आधार पर चुनौति दी है। साथ ही, इस आधार पर भी चुनौति दी है कि पूर्व में इसी भू–भाग को सम्मिलित करते हुए वृहद भूखण्ड का पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा श्री किस्तुरचन्द के पक्ष में दिनांक 15.10.1969 को जारी किया हुआ है, जिसकी मिसल संख्या 24 और पट्टा संख्या 39 है।

अधिवक्ता प्रार्थीपक्ष ने वक्त बहस यह ज़ाहिर किया कि पूर्वोक्त श्री किस्तुरचन्द के पट्टा संख्या 39 से सम्बन्धित भूखण्ड बाबत सिविल न्यायालय में एक स्थायी निषेधाज्ञा का वाद तथा सहवर्ती अस्थायी निषेधाज्ञा प्रकरण संख्या 20/2020 प्रस्तुत किया हुआ है। निगरानी याचिका के पैरा संख्या 09 में भी उक्त स्थायी एवं अस्थायी निषेधाज्ञा के दावों का अंकन किया गया है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 59/2024

उनवान : पकाराम बनाम ग्राम पंचायत फालना गांव अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

प्रार्थी द्वारा दौराने सुनवाई प्रस्तुत निर्णय दिनांक 26.09.2023 दीवानी विविध प्रकरण संख्या 20/2020 की प्रमाणित प्रतिलिपि के अध्ययन एवं अवलोकन से ज़ाहिर होता है कि प्रार्थी श्री पकाराम द्वारा न्यायालय सिविल न्यायाधीश बाली में उक्त श्री किस्तुरचन्द के पक्ष में निष्पादित तथाकथित भूमि विक्रय विलेख की भूमि के सम्बन्ध में स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर रखा है। मूल वाद के सहवर्ती प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र दीवानी विविध प्रकरण संख्या 20/2020 को निर्णीत करते हुए न्यायालय द्वारा मूलवाद के निस्तारण तक विवादग्रस्त आराजी की मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति की निषेधाज्ञा दिनांक 26.09.2023 को जारी की गई है।

निर्णय दिनांक 26.09.2023 में अंकन अनुसार वाद व प्रार्थना पत्र में भी प्रार्थी द्वारा ज़ेर निगरानी आलोच्य पट्टा संख्या 23 के कूटरचित व फर्जी होने का कथन अंकित किया गया है। साथ ही, अप्रार्थीगण द्वारा सिविल न्यायालय में अपने जवाबपत्र में श्री किस्तुरचन्द के पक्ष में निष्पादित तथाकथित पट्टा संख्या 39 तथा प्रार्थी के पिता के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख दिनांक 27.06.1989 के विरुद्ध भी उज़र ऐतराज पेश किए गए है। प्रार्थी ने हस्तगत निगरानी में भी आलोच्य पट्टा संख्या 23 को अन्य आधारों के साथ साथ इन आधारों पर ही चुनौती दी है कि विवादग्रस्त आराजी का पूर्व में श्री किस्तुरचन्द के नाम पट्टा बना हुआ था तथा जिसे प्रार्थी के पिता ने श्री किस्तुरचन्द से क्रय किया था।

अर्थात प्रार्थी द्वारा श्री किस्तुरचन्द के पक्ष में निष्पादित तथाकथित भूमि विक्रय विलेख की आराजी के सम्बन्ध में दोनों न्यायालयों में चाराजोही की जा रही है।

न्यायालय हाजा का यह विनम्र अभिमत है कि जब विवादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में न्यायालय सिविल न्यायाधीश बाली में मूलवाद लम्बित है तथा न्यायालय द्वारा उक्त भूमि की मौके के साथ साथ रिकॉर्ड की भी यथास्थिति कायम रखने की निषेधाज्ञा जारी की हुई है, ऐसी स्थिति इस न्यायालय द्वारा उसी भूखण्ड के एक भू भाग पर बनाए गए पट्टे की वैधता अथवा अवैधता पर कोई निष्कर्षात्मक टिप्पणी अथवा निर्णय करना न्यायोचित नहीं है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 बखिलाफ पट्टा संख्या 23 दिनांक 15.01.2023 अस्वीकार की जाती है।

प्रार्थी सिविल न्यायालय बाली में उनके द्वारा प्रस्तुत मूलवाद के अन्तिम निस्तारण उपरान्त माफ़िक निर्णय पुनः निगरानी प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक **18.07.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड लौटाया जाए।

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S.
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
बाली

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली (पाली)

Scanned with OKEN Scanner